भाग I

हरियाणा सरकार

विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 मई, 2005

[1]पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-व्यवसायी अधिनियम, 1963

(1963 का पंजाब अधिनियम संख्या 42)

[दि पंजाब आयुर्वेदिक ऐन्ड यूनानी प्रैक्-टि-शॅ-नॅज़ ऐक्ट, 1963, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की 4 अप्रैल, 2005, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ख) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—]

1	2	3	4
वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	विधान द्वारा निरसित या अन्यथा प्रभावित
1963	42	पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-व्यवसायी अधिनियम,1963	1964 के पंजाब अधिनियम 25 द्वारा संशोधित।[2] 1965 के पंजाब अधिनियम 15 द्वारा संशोधित।[3] 1969 के हरियाणा अधिनियम 18 द्वारा संशोधित।[4] 1970 के हरियाणा अधिनियम 26 द्वारा संशोधित।[5] 1971 के हरियाणा अधिनियम 12 द्वारा संशोधित।[6] 1972 के हरियाणा अधिनियम 10 द्वारा संशोधित।[7] 1977 के हरियाणा अधिनियम 24 द्वारा संशोधित।[8]

1. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए पंजाब राजपत्र (असाधारण) 1963, पृष्ठ 260
2. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए पंजाब राजपत्र (असाधारण) 1969, पृष्ठ 935-937
3. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए पंजाब राजपत्र (असाधारण) 1965, पृष्ठ 634
4. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण), 1969, पृष्ठ 92-93
5. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण), 1970, पृष्ठ 640
6. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण), 1971, पृष्ठ 222
7. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण), 1972, पृष्ठ 434
8. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण), 1977, पृष्ठ

1	2	3	4
वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	विधान द्वारा निरसित या अन्यथा प्रभावित
			1979 के हरियाणा अधिनियम 3 द्वारा संशोधित।[1]
			1981 के हरियाणा अधिनियम 14 द्वारा संशोधित।[2]
			1983 के हरियाणा अधिनियम 5 द्वारा संशोधित।[3]
			1984 के हरियाणा अधिनियम 21 द्वारा संशोधित।[4]
			1986 के हरियाणा अधिनियम 27 द्वारा संशोधित।[5]
			1989 के हरियाणा अधिनियम 16 द्वारा संशोधित।[6]
			1992 के हरियाणा अधिनियम 8 द्वारा संशोधित।[7]
			1994 के हरियाणा अधिनियम 5 द्वारा संशोधित।[8]
			1996 के हरियाणा अधिनियम 8 द्वारा संशोधित।[9]
			1999 के हरियाणा अधिनियम 13 द्वारा संशोधित।[10]
			2000 के हरियाणा अधिनियम 6 द्वारा संशोधित।[11]
			2004 के हरियाणा अधिनियम 6 द्वारा संशोधित।[12]

1. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण) 1979, पृष्ठ 1718
2. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण) 1981, पृष्ठ 1406
3. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण) 1983, पृष्ठ 304
4. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण) 1984, पृष्ठ 1454
5. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण) 1986, पृष्ठ 1266
6. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण) 1989, पृष्ठ 1732
7. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण) 1992, पृष्ठ 2099
8. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण) 1994, पृष्ठ 345
9. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण) 1996, पृष्ठ 424
10. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण) 1999, पृष्ठ 1069
11. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण) 2000, पृष्ठ 489
12. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण) 2004, पृष्ठ 269

आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-पद्धति के चिकित्सा-व्यावसायियों के पंजीकरण से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधन करने और ऐसी पद्धतियों में व्यवसाय करने को विनियमित करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में पंजाब राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ।

1. (1) यह अधिनियम पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-व्यवसायी अधिनियम, 1963, कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण [1][हरियाणा] राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तिथि को लागू होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आयुर्वेदिक पद्धति" से अभिप्राय है, अशतंग आयुर्वेदिक पद्धति तथा सिद्ध और इसमें शामिल है उसका आधुनिक रूप ;

(ख) "बोर्ड" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन स्थापित तथा गठित किया गया, या स्थापित तथा गठित समझा गया आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-पद्धति बोर्ड [1][हरियाणा] ;

[2][(ग) "निदेशक" जिसमें शामिल हैं, निदेशक आयुर्वेद, हरियाणा, उप निदेशक आयुर्वेद, हरियाणा, सहायक निदेशक आयुर्वेद, हरियाणा, तथा ऐसा अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निदेशक के सभी तथा किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करे ;]

1. 1969, के हरियाणा अधिनियम 18 द्वारा "पंजाब" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1969, के हरियाणा अधिनियम 18 द्वारा खण्ड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][(घ) "संकाय" से अभिप्राय है,पंजाब राज्य आयुर्वेदिक संकाय तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति अधिनियम, 1963, की धारा 2 के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित संकाय ;]

(ङ) "सदस्य" से अभिप्राय है, बोर्ड का सदस्य तथा इसमें शामिल हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ;

(च) "चिकित्सा-व्यवसायी" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो आयुर्वेदिक पद्धति या यूनानी पद्धति का व्यवसाय करता है ;

(छ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(ज) "रजिस्टर" से अभिप्राय है, धारा 14 के अधीन अनुरक्षित चिकित्सा-व्यवसायियों का [2][नया रजिस्टर] ;

(झ) "पंजीकृत चिकित्सा-व्यवसायी" से अभिप्राय है, कोई चिकित्सा-व्यवसायी [3][जिसका नाम तत्समय के लिए रजिस्टर में दर्ज किया गया है] ;

(ञ) "रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है, धारा 13 के अधीन नियुक्त किया गया रजिस्ट्रार ;

(ट) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न कोई अनुसूची ; तथा

(ठ) "यूनानी पद्धति" से अभिप्राय है, यूनानी टिब्बी चिकित्सा-पद्धति तथा इसमें शामिल है उसका आधुनिक रूप।

---

1. 1969, के हरियाणा अधिनियम 18 द्वारा खण्ड (घ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1969, के हरियाणा अधिनियम 18 द्वारा (26 नवम्बर, 1968, से) रजिस्टर शब्द के स्थान पर, प्रतिस्थापित।
3. 1969, के हरियाणा अधिनियम 18 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय II

बोर्ड की स्थापना तथा गठन और चिकित्सा-व्यावसायियों का पंजीकरण

बोर्ड की स्थापना तथा गठन।

3. (1) उप-धारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, [1][हरियाणा], के नाम से जाना जाने वाला एक बोर्ड स्थापित तथा गठित किया जाएगा जिसमें [1][हरियाणा] राज्य में रहने वाले [2][अध्यक्ष तथा ग्यारह अन्य सदस्य] होंगे, जिनमें से—

(क) निदेशक तथा संकाय द्वारा मान्यताप्राप्त किसी आयुर्वेदिक या यूनानी संस्था के एक प्राचार्य को मिलाकर [3][चार] राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ; तथा

(ख) [4][सात], जिनमें से कम से कम [5][चार] आयुर्वेदिक पद्धति या यूनानी पद्धति में उपाधि-पत्र या उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति होंगे तथा पंजीकृत व्यावसायियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे।

(2) बोर्ड उपर्युक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसके शाश्वत उत्तराधिकार होंगे तथा सामान्य मुद्रा सहित इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उसे संपत्ति अर्जित, धारित तथा निपटान करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वाद लाएगा तथा उस पर वाद लाया जा सकेगा।

[6][(3) बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों तथा ऐसी शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, नियुक्त किया जाएगा तथा राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(3क) उपाध्यक्ष बोर्ड के सदस्यों में से उनके द्वारा चुना जाएगा।]

(4) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में उपबंधित सदस्यों के [7][सात] स्थान, ऐसे पंजीकृत व्यवसायियों में से जो आयुर्वेदिक पद्धति का अनुकरण करते हैं तथा ऐसे व्यवसायी जो यूनानी पद्धति का अनुकरण करते हैं, निर्वाचन से पूर्व विहित तिथि को गिने गए उनके सदस्यों के अनुपात में राज्य सरकार द्वारा विभक्त किए जाएंगे :

परन्तु अनुपात अवधारित करते समय आधा तथा इससे कम का कोई प्रभाग गिना नहीं जाएगा तथा आधे से अधिक का भाग एक के रूप में गिना जाएगा।

(5) सदस्य का प्रत्येक निर्वाचन या नियुक्ति तथा किसी सदस्य के पद की प्रत्येक रिक्ति, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

---

1. 1969, के हरियाणा अधिनियम 18 द्वारा "पंजाब" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1977, के हरियाणा अधिनियम 24 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1969, के हरियाणा अधिनियम 18 द्वारा "छह" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1969, के हरियाणा अधिनियम 18 द्वारा "ग्यारह" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1969, के हरियाणा अधिनियम 18 द्वारा "सात" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1977, के हरियाणा अधिनियम 24 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. 1969, के हरियाणा अधिनियम 18 द्वारा "ग्यारह" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][(6)पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1968, द्वारा यथासंशोधित पूर्ववर्ती उप-धाराओं के उपबंधों के अनुसार जब तक बोर्ड स्थापित तथा गठित नहीं किया जाता, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले निदेशक सहित, छह व्यक्तियों का एक बोर्ड का गठन कर सकती है तथा इस प्रकार गठित किया गया बोर्ड उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ से तथा ऐसे प्रारम्भ से [2][अड़तीस वर्ष से अनधिक] अवधि के लिए, इस अधिनियम के सभी उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए स्थापित तथा गठित किया गया बोर्ड समझा जाएगा तथा उप-धारा (3) तथा (5) के उपबंध ऐसे किसी बोर्ड को लागू होंगे।]

सदस्यों का निर्वाचन।

4. धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन ऐसे समय तथा स्थान पर तथा ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए।

पदावधि।

5. (1) अन्यथा उपबंधित के सिवाए, धारा 3 की उप-धारा (6) के अधीन स्थापित तथा गठित किये गये समझे गये बोर्ड से भिन्न बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष की होगी जो ऐसे बोर्ड की प्रथम बैठक होने की तिथि से प्रारम्भ होगी :

परन्तु पदावरोही सदस्य जब तक उसके उत्तराधिकार का निर्वाचन या नियुक्ति, जैसे भी स्थिति हो, नहीं होती अपने पद पर बना रहेगा।

(2) पदावरोही सदस्य पुनः निर्वाचन या पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

रिक्तियां।

6. (1) यदि बोर्ड के सदस्य के पद की रिक्ति मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने या ऐसे सदस्य की अयोग्यता या अन्यथा के कारण होती है, तो रिक्ति उसी रीति में भरी जाएगी जो धारा 3 में यथा उपबंधित है।

(2) रिक्ति भरने के लिए निर्वाचित या नियुक्त कोई व्यक्ति, धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, केवल उतने समय तक पद धारण करेगा जितने समय तक सदस्य, जिसके स्थान पर वह निर्वाचित या नियुक्त किया गया है पद धारण करता, यदि रिक्ति नहीं हुई होती।

त्यागपत्र।

7. बोर्ड का कोई भी सदस्य, अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकता है तथा त्यागपत्र उस तिथि से प्रभावी होगा जिसको यह उसके द्वारा स्वीकार किया जाता है।

सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निर्योग्यताएं।

8. यदि, बोर्ड की राय में, बोर्ड का कोई सदस्य पर्याप्त कारण के बिना बोर्ड की तीन अनुक्रमी सामान्य बैठकों से स्वयं अनुपस्थित रहता है, या धारा 9 में विनिर्दिष्ट किसी भी निर्योग्यता से ग्रस्त हो जाता है, तो बोर्ड उसके पद को रिक्त घोषित कर देगा :

परन्तु उसका पद रिक्त घोषित करने से पूर्व, बोर्ड उसका स्पष्टीकरण मांगेगा तथा उस पर अपना निर्णय अभिलिखित करेगा।

सदस्यों को हटाने की शक्ति।

[3][8-क. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, किसी भी सदस्य को जो, उसकी राय में, अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी है, हटा सकती है :

1. 1969. के हरियाणा अधिनियम 18 द्वारा उपधारा (6) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 2004 के हरियाणा अधिनियम 6 द्वारा "तैंतीस वर्ष तक की अनधिक" शब्दों के स्थान पर रखे गए तथा 26 नवम्बर, 2001. से सदैव रखे गए समझे जाएंगे।
3. धारा 8-क 1969. के हरियाणा अधिनियम 18 द्वारा जोड़ी गई।

परन्तु इससे पूर्व कि राज्य सरकार किसी सदस्य का हटाना अधिसूचित करे, उसे हटाने के प्रस्तावित कारण उसको संसूचित किए जाएंगे तथा उसे लिखित में स्पष्टीकरण देने का एक अवसर दिया जाएगा जिस पर सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा।]

अयोग्यताएं।

9. कोई भी व्यक्ति, बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचन या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा—

(क) जो अव्यस्क या कोई अनुन्मुक्त दिवालिया हो ; या

(ख) जो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त न्यायनिर्णीत किया गया हो ; या

(ग) जिसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया हो ; या

(घ) जिसे ऐसे अपराध के लिये किसी दांडिक न्यायालय द्वारा कारावास का दण्ड दिया गया हो जो राज्य सरकार द्वारा नैतिक अधमता वाला घोषित किया गया है।

रिक्तियों इत्यादि का बोर्ड की कार्यवाहियां अविधिमान्य न करना।

10. बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाहियां केवल निम्नलिखित आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी या होंगी—

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने से ; या

(ख) इसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के निर्वाचन या नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता होने से ; या

(ग) मामले के गुणागुण को प्रभावित न करने वाले ऐसे कार्य या ऐसी कार्यवाही में किसी त्रुटि या अनियमितता से।

बोर्ड के अधिवेशन का समय तथा स्थान।

11. बोर्ड का अधिवेशन ऐसे समय तथा स्थान पर होगा तथा बोर्ड का प्रत्येक अधिवेशन, ऐसी रीति में, बुलाया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में उपबंधित की जाए :

परन्तु जब तक ऐसे विनियम नहीं बनाए जाते तब तक अध्यक्ष के लिए बोर्ड एक अधिवेशन ऐसे समय तथा स्थान पर, जिसे कि वह प्रत्येक सदस्य को संबोधित पत्र द्वारा समीचीन समझे, बुलाना विधिवत् होगा।

बोर्ड की बैठकों में प्रक्रिया।

12. (1) अध्यक्ष तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तथा दोनों की अनुपस्थिति में, बोर्ड के सदस्यों द्वारा उनमें से निर्वाचित कोई व्यक्ति बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(2) बोर्ड की बैठक में सभी प्रश्न, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे :

परन्तु मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का, जैसी भी स्थिति हो, बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने मत के अतिरिक्त दूसरा या निर्णायक मत होगा।

(3) धारा 3 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट बोर्ड की बैठक में [1][पांच] सदस्यों से गणपूर्ति होगी तथा उक्त धारा की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट बोर्ड की बैठक में तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी :

परन्तु यदि बैठक गणपूर्ति के कारण स्थगित हो जाती है तो उसी कारबार के संव्यवहार के लिए बुलाए गए आगामी अधिवेशन में गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

रजिस्ट्रार तथा अन्य कर्मचारिवृन्द।

13. (1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार इस निमित्त बना सकती है, बोर्ड एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगा जो ऐसे वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा तथा सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन होगा, जो विहित की जाएं :

परन्तु जब तक कोई रजिस्ट्रार इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाता है तब तक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति, [2][पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1968, के प्रारम्भ से] रजिस्ट्रार के रूप में समझा जाएगा जो ऐसे वेतन तथा भत्तों का हकदार होगा तथा सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं।

(2) बोर्ड इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे अन्य कर्मचारी नियुक्त करेगा जितने वह आवश्यक समझे तथा ऐसे कर्मचारी ऐसे वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेंगे तथा सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन होंगे जो विहित की जाएं।

(3) रजिस्ट्रार सहित, बोर्ड के सभी कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझे जाएंगे।

रजिस्ट्रार के कर्त्तव्य।

14. (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन तथा बोर्ड के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, रजिस्टर बनाए रखना तथा बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करना रजिस्ट्रार का कर्त्तव्य होगा।

(2) रजिस्टर ऐसे रूप में होगा, जो विहित किया जाए, तथा उसमें प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम, पते तथा योग्यताएं, उन तिथियों सहित जिनको योग्यताएं अर्जित की गई थीं, होंगी तथा निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जाएगा :—

भाग I धारा 15 की [3][उप-धारा (1)] में निर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम वाला होगा, तथा

भाग II धारा 15 की [4][उप-धारा (3)] में निर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम वाला होगा।

---

1. 1969, के हरियाणा अधिनियम 18 की धारा 6 द्वारा "पांच" शब्द के स्थान पर, 26 नवम्बर, 1968, से प्रतिस्थापित।
2. 1969, के हरियाणा अधिनियम 18 की धारा 7 द्वारा "इस अधिनियम के प्रारम्भ से" शब्दों के स्थान पर, प्रतिस्थापित।
3. 1969, के हरियाणा अधिनियम 18 द्वारा "उप-धारा (1) तथा (2)" शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर 26 नवम्बर, 1968, से प्रतिस्थापित।
4. उक्त द्वारा "उप-धारा (3) तथा (4)" शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, प्रतिस्थापित।

(3) रजिस्ट्रार यथासंभव रजिस्टर को सही रखेगा, तथा इसमें समय-समय पर चिकित्सा-व्यवसायियों के पतों या योग्यताओं में किसी तात्विक परिवर्तन को दर्ज करेगा। पंजीकृत चिकित्सा-व्यावसायियों के नाम, जिनकी मृत्यु हो जाती है या जिनके नाम रजिस्टर से काटे जाने का निदेश हो, रजिस्टर से काट दिए जाएंगे।

(4) कोई पंजीकृत चिकित्सा-व्यवसायी, ऐसी फीस के भुगतान पर, जो विहित की जाए आयुर्वेदिक पद्धति या यूनानी पद्धति में किन्हीं अतिरिक्त उपाधियों, उपाधि-पत्रों या प्रमाण-पत्रों या अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा-उपाधियों, उपाधि-पत्रों या प्रमाण-पत्रों को जिन्हें वह प्राप्त करे, रजिस्टर में दर्ज करवाने का हकदार होगा।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, रजिस्ट्रार रजिस्टर में दर्ज किए गए पते पर किसी पंजीकृत चिकित्सा-व्यवसायी को पंजीकृत डाक द्वारा लिखकर पूछताछ कर सकता है कि क्या उसने व्यवसाय छोड़ दिया है या अपना निवास बदल लिया है तथा यदि उक्त पत्र का तीन मास के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता, तो रजिस्ट्रार रजिस्टर से उक्त चिकित्सा-व्यवसायी का नाम काट देगा :

परन्तु यदि, उक्त व्यवसायी के आवेदन पर, बोर्ड की संतुष्टि हो जाती है कि उसने व्यवसाय नहीं छोड़ा है, तो निदेश दे सकता है कि उसका नाम रजिस्टर में पुनः दर्ज किया जाए।

पंजीकरण।

15. (1) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट योग्यताओं में से किन्हीं का धारक प्रत्येक व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन तथा ऐसी फीस के भुगतान पर जो इस निमित्त विहित की जाए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं रजिस्टर के भाग I में अपना नाम दर्ज करवाने का हकदार होगा।

(2) [1][x x x x x x]

[2][(3) कोई भी व्यक्ति, जिसके पास अनुसूची I में विनिर्दिष्ट योग्यताएं नहीं हैं, किन्तु—

(क) जिसका नाम पूर्वी पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-व्यवसायी अधिनियम, 1949, की धारा 34 के अधीन या पेप्सू आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 2008 बी० के० (विक्रमी सम्वत्) की धारा 33 के अधीन बनाई गई सूची में दिसम्बर, 1963, के 13वें दिन से तुरन्त पूर्व दर्ज किया गया है ; तथा

[3][(ख) जो 30 जून, 1972, तक रजिस्ट्रार की संतुष्टि के अनुसार सिद्ध कर देता है कि वह नवम्बर, 1966, के प्रथम दिन से चिकित्सा-व्यवसायी के रूप में व्यवसाय में था तथा ऐसे रूप में निरन्तर कार्यरत है,]

इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, तथा ऐसी फीस के भुगतान पर, जो इस निमित्त विहित की जाए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, रजिस्टर के भाग II में अपना नाम दर्ज करवाने का हकदार होगा।]

1. 1969, के हरियाणा अधिनियम 18 की धारा 9 द्वारा 26 नवम्बर, 1968, से उप-धारा (2) का लोप किया गया।
2. 1976, के हरियाणा अधिनियम 26 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित की गई।
3. 1972, के हरियाणा अधिनियम 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(4) x x x x x x]

(5) कोई भी व्यक्ति, यदि वह अवयस्क है, इस धारा के अधीन रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए हकदार नहीं होगा।

कतिपय मामलों में समझा जाने वाला पंजीकरण।

[2][**15-क.** धारा 14 तथा 15 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1968, के प्रारम्भ से तुरन्त पूर्व इस अधिनियम के अधीन बनाए गए रजिस्टर के भाग I या भाग II में दर्ज किया गया है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, रजिस्टर के भाग I तथा II में, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे प्रारम्भ से पूर्व दर्ज किया गया समझा जाएगा।]

पंजीकरण का नवीकरण।

[3][**15-ख.** (1) प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सा-व्यवसायी पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-व्यवसायी (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1983, के प्रारम्भ से दो मास के भीतर अपना पंजीकरण नवीकृत कराएगा तथा तत्पश्चात् पंजीकरण ऐसी फीस के भुगतान पर, जो विहित की जाए, प्रत्येक पांच वर्ष बाद पंजीकरण की अवधि की समाप्ति के एक मास के भीतर नवीकृत करवाया जाएगा।

(2) यदि पंजीकृत चिकित्सा-व्यवसायी उप-धारा (1) में उपबंधित अवधि के भीतर अपना पंजीकरण नवीकृत करवाने में असफल रहता है तो उसका नाम उसके बाद रजिस्टर से हटा रहेगा :

परन्तु उसका नाम नवीकरण के लिए उपबंधित अवधि की समाप्ति के बाद दो मास के भीतर ऐसी अतिरिक्त फ़ीस के भुगतान पर जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर में पुनः दर्ज किया जा सकता है।]

रजिस्टर इत्यादि में प्रविष्टि का निषेध करने या से हटाने का निदेश करने की बोर्ड की शक्तियां।

16. (1) बोर्ड किसी भी चिकित्सा-व्यवसायी का नाम रजिस्टर में दर्ज करने का निषेध या हटाने के आदेश कर सकता है—

(क) जो ऐसे अपराध के लिए जिसे राज्य सरकार द्वारा नैतिक अधमता वाला घोषित किया जाए दांडिक न्यायालय द्वारा कारावास से दंडित किया गया हो, या

(ख) जिसे बोर्ड द्वारा स्वयं या बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी समिति द्वारा की गई उचित जांच पड़ताल के पश्चात् बोर्ड की बैठक में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा वृत्तिक अवचार या अन्य घृणित आचरण का दोषी पाया गया हो।

(2) बोर्ड निदेश कर सकता हैं कि किसी व्यक्ति का नाम, जिसके विरुद्ध उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है अपनी संतुष्टि होने के पश्चात् कि समय बीत जाने के कारण या अन्यथा उप-धारा (1) में वर्णित अशक्तता का प्रभाव समाप्त हो गया है दर्ज या पुनः दर्ज, जैसी भी स्थिति हो, किया जाएगा।

---

1. उप-धारा (4) का 1969 के हरियाणा अधिनियम 18 द्वारा लोप किया गया।
2. धारा 15-क 1969 के हरियाणा अधिनियम 18 की धारा 10 द्वारा (26 नवम्बर, 1968, से) जोड़ी गई।
3. 1983, के हरियाणा अधिनियम 5 द्वारा अन्तः स्थापित।

जांच-पड़तालों में प्रक्रिया।

17. धारा 16 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन की गई किसी जांच पड़ताल के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड या बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी समिति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872, का अधिनियम संख्या 1), के अर्थ के भीतर एक न्यायालय समझा जाएगा, तथा जहां तक हो सके, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908, का अधिनियम संख्या V) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा/करेगी।

रजिस्ट्रार के विनिश्चय के विरुद्ध बोर्ड को अपील तथा बोर्ड की अन्य शक्तियां।

18. (1) किसी व्यक्ति के पंजीकरण या रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसी फीस के भुगतान पर जो विहित की जाए, बोर्ड को अपील कर सकता है।

(2) उप-धारा (2) के अधीन कोई अपील, अपीली आदेश की प्रति की प्राप्ति में लगे समय को निकालने के बाद, उसके पारित करने के साठ दिन के भीतर दायर की जाएगी तथा विहित रीति में बोर्ड द्वारा सुनी तथा विनिश्चित की जाएगी।

[1][(2-क) उप-धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील जो 4 फरवरी, 1966, को प्रारम्भ होने वाली अवधि तथा पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1968, के प्रारम्भ होने की तिथि से समाप्त होने वाली अवधि के दौरान दायर की जा सकती थी, आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की प्रति की प्राप्ति में लगे समय को निकालने के बाद ऐसे प्रारम्भ से साठ दिन की अवधि के भीतर दायर की जाएगी।]

(3) बोर्ड, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर, सम्यक् तथा समीचीन जांच के बाद तथा सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, यदि, बोर्ड की राय में, ऐसी प्रविष्टि कपट से या गलत ढंग से की गई थी रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को रद्द या परिवर्तित कर सकता है।

अर्हित चिकित्सा व्यवसायी प्रमाण-पत्र।

19. तत्समय लागू किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी—

(क) 'विधिक रूप से अर्हित चिकित्सा-व्यवसायी' या 'सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा-व्यवसायी' अभिव्यक्ति या चिकित्सा-व्यवसायी या चिकित्सा व्यवसाय के सदस्य के रूप में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी व्यक्ति का द्योतक कोई शब्द [2][हरियाणा] में विधि का बल रखने वाले तथा भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II या सूची III के विषयों से संबंधित सभी अधिनियमों या अन्य उपबंधों में रजिस्टर के भाग I में पंजीकृत कोई चिकित्सा-व्यवसायी भी शामिल होगा ;

(ख) किसी चिकित्सा-व्यवसायी या चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला किसी अधिनियम द्वारा अपेक्षित कोई प्रमाण-पत्र तभी विधिमान्य होगा, यदि प्रमाण-पत्र रजिस्टर के भाग I में पंजीकृत किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित तथा जारी किया गया हो :

परन्तु बीमारी का कोई भी प्रमाण-पत्र रजिस्टर के भाग II में पंजीकृत किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा भी हस्ताक्षरित तथा जारी किया जा सकता है।

1. उप-धारा (2क) 1969 के हरियाणा अधिनियम 18 की धारा 11 द्वारा 26 नवम्बर, 1968, से जोड़ी गई।
2. हरियाणा विधि अनुकूलन आदेश, 1968 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) रजिस्टर के भाग I में पंजीकृत कोई चिकित्सा-व्यवसायी, राज्य सरकार द्वारा समर्थित या से अनुदान प्राप्त करने वाले तथा आयुर्वेदिक पद्धति अथवा यूनानी पद्धति के अनुसार रोगियों का उपचार करने वाले किसी आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधालय या अस्पताल में या किसी ऐसी पद्धति से सम्बद्ध किसी सार्वजनिक स्थापना, निकाय या संस्था में, चिकित्सा अधिकारी के रूप में कोई नियुक्ति धारण करने का हकदार होगा ;

(घ) कोई भी पंजीकृत चिकित्सा-व्यवसायी तत्वों का उनके अपरिष्कृत या विनिर्मित रूप में या ऐसे तत्वों वाले सम्पाकों का प्रयोग करने के लिए हकदार होगा परन्तु यह कि ऐसे उपयोग के संबंध में उन औषधियों के मौलिक सिद्धांतों के अनुसार उनकी औषधीय क्रिया उसे ज्ञात हो।

मृत्यु की सूचना।

20. प्रत्येक मृत्यु रजिस्ट्रार किसी पंजीकृत चिकित्सा-व्यवसायी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर, मृत्यु का समय तथा स्थान के ब्यौरों सहित, ऐसी मृत्यु का एक प्रमाण-पत्र अपने हस्ताक्षराधीन रजिस्ट्रार को डाक द्वारा तुरन्त प्रेषित करेगा तथा ऐसे प्रमाण-पत्रों तथा प्रेषणों की लागत अपने कार्यालय के खर्च के रूप में प्रभारित करेगा।

मृत्यु-समीक्षा करने से छूट।

21. तत्समय लागू किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सा-व्यवसायी को, यदि वह ऐसा चाहता है, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898, का अधिनियम संख्या V), के अधीन किसी मृत्यु समीक्षा करने से छूट होगी।

सदस्यों को भुगतान-योग्य फीसें तथा भत्ते।

22. बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए सदस्यों को ऐसे यात्रा तथा अन्य भत्तों का भुगतान किया जाएगा जो विहित किए जाएं।

बोर्ड के अभिलेखों के सबूत का ढंग।

23. किसी कार्यवाही, रसीद, आवेदन, नक्शे, नोटिस, आदेश, रजिस्टर में प्रविष्टि या बोर्ड के कब्जे में अन्य दस्तावेज की कोई प्रति, यदि रजिस्ट्रार या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित की गई है, तो प्रविष्टि या दस्तावेजों की विद्यमानता को प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा तथा प्रविष्टि या दस्तावेजों के तथा जहां तथा उसकी विस्तार तक प्रत्येक मामले में अभिलिखित उसमें दिए गए मामलों के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे जिस तक मूल प्रविष्टि या दस्तावेज, यदि प्राप्त किए होते तो ऐसे मामलों को साबित करने के लिए स्वीकार्य होते।

आदेशों, रजिस्टर इत्यादि की प्रविष्टियों की प्रतियां जारी करने के लिए फीसें।

24. बोर्ड या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश या रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रतियां ऐसी फीस के भुगतान पर दी जाएंगी जो विहित की जाए।

बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई फीसें।

25. इस अधिनियम के अधीन फीसों के रूप में बोर्ड द्वारा प्राप्त किए गए सभी धन, विहित रीति में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोजित किए जाएंगे।

चिकित्सा-व्यवसायियों की सूची का प्रकाशन।

26. (1) रजिस्ट्रार, प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार बोर्ड द्वारा नियत की जाने वाली तिथि को या उससे पूर्व, तत्समय रजिस्टर में दर्ज सभी चिकित्सा-व्यवसायियों के नाम तथा अर्हताओं तथा तिथियों की, जब ऐसी अर्हताएं अर्जित की गई थीं, सही सूची मुद्रित तथा प्रकाशित करवाएगा।

(2) किसी भी कार्यवाही में यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी सूची में दर्ज प्रत्येक व्यक्ति पंजीकृत चिकित्सा-व्यवसायी है तथा यह कि कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार दर्ज नहीं है,

पंजीकृत चिकित्सा-व्यवसायी नहीं है।

झूठे प्रमाण-पत्र या उपाधि-पत्र धारण करना एक अपराध होना।

27. जो कोई भी स्वेच्छा से तथा झूठे से कोई उपाधि या हुलिया धारण करता है या प्रयोग करता है या इस अभिप्राय से अपने नाम में कोई परिवर्तन करता है कि वह पंजीकृत चिकित्सा-व्यवसायी है तो प्रथम अपराध के लिए कारावास से, जो छह मास तक हो सकता है या जुर्माने से, जो दो सौ तथा पचास रुपए तक हो सकता है या दोनों से तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जो दो वर्ष तक हो सकता है या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक हो सकता है या दोनों से, दण्डनीय होगा।

फेरी इत्यादि लगाकर दवाइयां बेचना एक अपराध होना।

28. कोई भी चिकित्सा-व्यवसायी, चाहे वह पंजीकृत है या नहीं, फेरी वाले के रूप में या किसी मजमा जमावड़े द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान में आयुर्वेदिक पद्धति या यूनानी पद्धति की कोई दवाई नहीं बेचेगा।

व्यवसाय का निषेध।

29. किसी पंजीकृत चिकित्सा-व्यवासायी से भिन्न कोई भी व्यक्ति चाहे प्रत्यक्ष रूप से या संकेतिक रूप में आयुर्वेदिक पद्धति या यूनानी पद्धति में चिकित्सा-व्यवसायी के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा अथवा स्वयं को इस रूप में प्रकट नहीं करेगा कि वह चिकित्सा-व्यवसाय कर रहा है अथवा व्यवसाय करने की तैयारी कर रहा है।

शास्ति।

30. कोई भी व्यक्ति, जो धारा 28 या धारा 29 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

अनुसूची I को संशोधित करने की शक्ति।

31. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची I संशोधित कर सकती है ताकि उसमें कोई अर्हता जोड़ी जा सके या उससे हटाई जा सके, तथा तत्पश्चात् ऐसी अनुसूची तद्नुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।

राज्य सरकार का नियंत्रण।

32. यदि, किसी भी समय, राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि बोर्ड ने इस अधिनियम के अधीन उसको प्रदान की गई किसी शक्ति का प्रयोग करने में उपेक्षा की है या अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है या इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन करने में उपेक्षा की है, तो राज्य सरकार, बोर्ड को ऐसी उपेक्षा, अतिक्रमण या दुरुपयोग के ब्यौरे संसूचित करेगी तथा यदि, बोर्ड ऐसे समय के भीतर, जो इस निमित्त, राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाए, ऐसी उपेक्षा, अतिक्रमण या दुरुपयोग का उपाय करने में असफल रहता है, तो राज्य सरकार ऐसी उपेक्षा, अतिक्रमण या दुरुपयोग का उपाय करने के प्रयोजन के लिए, बोर्ड की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन ऐसे अभिकरण द्वारा तथा ऐसी अवधि के लिए, जिसे राज्य सरकार ठीक समझे, करवा सकती है।

इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करने तथा अपराधों के संज्ञान के लिए सक्षम न्यायालय।

33. (1) प्रथम श्रेणी के [1][न्यायिक मजिस्ट्रेट] के न्यायालय से भिन्न कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा या विचारण नहीं करेगा।

(2) कोई भी न्यायालय, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी की लिखित रूप में किसी शिकायत के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

34. इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

1. 1964 के पंजाब अधिनियम 25 द्वारा "मजिस्ट्रेट" शब्द के स्थान पर, प्रतिस्थापित।

अध्याय III

निर्वाचन सम्बन्धी विवाद

परिभाषाएं।

35. इस अध्याय में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अभिकर्ता" से अभिप्राय है, किसी निर्वाचन में अपने निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में ऐसे व्यक्ति की लिखित सहमति से उसके अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति ;

(ख) "उम्मीदवार" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में सम्यक् रूप से मनोनीत किया गया है या किया गया दावा करता है, तथा ऐसा कोई व्यक्ति उस समय से उम्मीदवार के रूप में समझा जाएगा जब वह भावी निर्वाचन में अपने आप को भावी उम्मीदवार के रूप में प्रकट करना आरम्भ कर देता है ;

(ग) "भ्रष्ट व्यवसाय" से अभिप्राय है, अनुसूची II में विनिर्दिष्ट व्यवसायों में से कोई व्यवसाय ;

(घ) "लागतों" से अभिप्राय है, किसी निर्वाचन याचिका के किसी विचारण या उससे आनुषंगिक सभी लागतें, प्रभार तथा खर्चे ;

(ङ) "निर्वाचन" से अभिप्राय है, किसी सदस्य के पद को भरने के लिए कोई निर्वाचन ;

(च) "निर्वाचन अधिकार" से अभिप्राय है, किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में किसी व्यक्ति के खड़े होने या खड़े न होने या उम्मीदवारी वापस लेने या मतदान करने या मतदान न करने का अधिकार ;

(छ) "अभिवक्ता" से अभिप्राय है, किसी सिविल न्यायालय में किसी दूसरे के लिए पेश होने तथा बहस करने का हकदार कोई व्यक्ति तथा इसमें कोई अधिवक्ता भी शामिल है।

निर्वाचन याचिकाएं।

36. किसी भी सदस्य का निर्वाचन, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की गई किसी निर्वाचन याचिका के सिवाय, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

याचिकाओं का प्रस्तुतिकरण।

37. (1) कोई भी पंजीकृत चिकित्सा-व्यवसायी ऐसी तिथि से जिसको किसी सदस्य का निर्वाचन धारा 3 की उप-धारा (5) के अधीन अधिसूचित किया जाता है, तीस दिन की अवधि के भीतर तथा विहित रीति में विहित प्रतिभूति देकर, धारा 49 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक आधारों पर, विहित प्राधिकारी को, ऐसे सदस्य के निर्वाचन के विरुद्ध लिखित रूप में कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करेगा।

(2) निर्वाचन याचिका विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई समझी जाएगी—

(क) जब यह निम्नलिखित द्वारा विहित प्राधिकारी को दी जाती है—

(i) याचिका प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा ; या

(ii) याचिका प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ; या

(ख) जब यह पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाती है तथा विहित प्राधिकारी को दी जाती है।

याचिका की विषय वस्तु।

38. (1) किसी निर्वाचन याचिका में—

(क) तात्विक तथ्यों का संक्षिप्त कथन होगा जिस पर याची निर्भर करता है ;

(ख) कोई भ्रष्ट-व्यवसाय जिसका याचिका दाता आरोप लगाता है, के पूर्ण ब्यौरे दिए जाएंगे, जिनमें आरोपित पक्षकारों के नाम जिन्होंने ऐसा भ्रष्ट-व्यवसाय किया है तथा ऐसा प्रत्येक आचरण किए जाने की तिथि तथा स्थान का यथासम्भव पूरः कथन शामिल होगा ; तथा

(ग) याची द्वारा हस्ताक्षरित होगी तथा अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल संहिता प्रक्रिया, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या V), में अधिकथित रीति में सत्यापित की जाएगी :

परन्तु जहां याची किसी भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाता है वहां याचिका के साथ ऐसे भ्रष्ट आचरण के आरोपों तथा उनके विवरण के समर्थन में विहित प्ररूप में एक शपथ पत्र भी संलग्न होगा।

(2) याचिका से संलग्न कोई अनुसूची या अनुबंध याची द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा उसी रीति में सत्यापित किया जाएगा जैसे कि याचिका की जाती है।

निर्वाचन याचिका की प्राप्ति पर प्रक्रिया।

39. यदि विहित रीति में विहित प्रतिभूति नहीं दी जाती या धारा 37 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर याचिका प्रस्तुत नहीं की जाती, तो विहित प्राधिकारी याचिका को खारिज कर देगा :

परन्तु याची को सुनवाई का अवसर दिए बिना याचिका खारिज नहीं की जाएगी।

याचिका वापिस लेने तथा अंतरित करने की निदेशक की शक्ति।

40. निदेशक, पक्षकारों को नोटिस देने के बाद तथा कारण अभिलिखित करते हुए किसी भी स्तर पर, विहित प्राधिकारी के समक्ष लम्बित कोई निर्वाचन याचिका वापिस ले सकता है तथा किसी अन्य विहित प्राधिकारी को विचारण के लिए अन्तरित कर सकता है, तथा ऐसे अन्तरण पर, वह विहित प्राधिकारी उस स्तर से आगे विचारण करेगा जिस पर यह वापिस की गई थी :

परन्तु ऐसा प्राधिकारी, यदि वह ठीक समझे, पहले से परिक्षित गवाहों में से किसी को पुनः बुला सकता है तथा पुनः परीक्षण कर सकता है।

विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रक्रिया।

41. (1) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक निर्वाचन याचिका पर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या V), के अधीन वादों के विचारण को लागू प्रक्रिया के अनुसार यथा सम्भव निकटतम विहित प्राधिकारी द्वारा विचारण किया जाएगा :

परन्तु विहित प्राधिकारी को किसी गवाह या गवाहों के परीक्षण का अभिलिखित कारणों के लिए इन्कार करने का विवेकाधिकार होगा, यदि उसकी राय है कि उनकी गवाही याचिका के विनिश्चय के लिए महत्त्पूर्ण नहीं है या ऐसे गवाह या गवाहों को पेश करने वाला पक्षकार तुच्छ आधारों पर या कार्यवाहियों को विलम्बित करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का अधिनियम संख्या 1), के उपबंध निर्वाचन याचिका के विचारण के लिए सभी प्रकार से लागू समझे जाएंगे।

विहित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थिति।

42. विहित प्राधिकारी के समक्ष कोई उपस्थिति, आवेदन या कार्य पक्षकार द्वारा व्यक्तिगत रूप में या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त किसी अभिवक्ता द्वारा दिया या किया जाएगा :

परन्तु जब कभी विहित प्राधिकारी ऐसा आवश्यक समझे किसी पक्षकार को व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने के निदेश देने की विहित प्राधिकारी को छूट होगी।

विहित प्राधिकारी की शक्तियां।

43. निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद पर विचारण करते समय, विहित प्राधिकारी को वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या V), के अधीन किसी न्यायालय में निहित हैं :—

(क) खोज तथा निरीक्षण ;

(ख) गवाहों की उपस्थिति लागू करना तथा उनके खर्चों को जमा करवाने की अपेक्षा करना ;

(ग) दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य करना ;

(घ) शपथ पर गवाहों का परीक्षण करना ;

(ङ) स्थगन करना ;

(च) शपथ पत्र पर ली गई गवाही की स्वीकृति ; तथा

(छ) गवाहों के परीक्षण के लिए शासन पत्र जारी करना ; और स्वप्रेरणा से ऐसे किसी व्यक्ति को बुला सकता है तथा उसका परीक्षण कर सकता है जिसकी गवाही उसे महत्वपूर्ण प्रतीत हो ; तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का अधिनियम संख्या V), की धारा 480 तथा 482 के अर्थ के भीतर एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

व्याख्या— गवाहों की हाजरी लागू करने के प्रयोजन के लिए, विहित प्राधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं। [1][हरियाणा राज्य] की सीमाएं होंगी।

किसी अधिनियमिति में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई भी दस्तावेज इस आधार पर निर्वाचन याचिका के विचारण में साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य नहीं होगा कि इसमें टिकट नहीं लगाए गए हैं या पंजीकृत नहीं किया गया है।

मतदान करने की गोपनीयता का भंग किया जाना।

45. किसी भी गवाह या अन्य व्यक्ति से यह बताने की अपेक्षा नहीं की जाएगी कि उसने निर्वाचन में किसी के लिए मतदान किया है।

1. हरियाणा विधि अनुकूलन आदेश, 1968, द्वारा प्रतिस्थापित।

अपराधी ठहराने वाले प्रश्नों के उत्तर तथा क्षतिपूर्ति प्रमाण-पत्र।

46. (1) किसी भी गवाह को निर्वाचन याचिका के विचारण में किसी विवाद्यक विषय से सुसंगत किसी मामले के बारे में किसी प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर माफ नहीं किया जाएगा कि ऐसे प्रश्न के उत्तर से उसे अपराधी ठहरा सकता है या अपराध में फंसाने वाला हो सकता है या यह कि किसी शास्ति या जब्ती की आशंका में डाल सकता है या आशंका में फंसाने वाला हो सकता है :

परन्तु —

(क) कोई गवाह जो सच्चाई से उन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है जिनके उत्तर देने की उससे अपेक्षा की गई है, विहित प्राधिकारी से क्षतिपूर्ति का प्रमाण-पत्र पाने का हकदार होगा ; तथा

(ख) विहित प्राधिकारी द्वारा या के समक्ष पूछे गए किसी प्रश्न का किसी गवाह द्वारा दिया गया कोई उत्तर साक्ष्य के संबंध में शपथ भंग के लिए किसी अपराधिक कार्यवाही के मामले के सिवाय, किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही में उसके विरुद्ध साक्ष्य में ग्राहय नहीं होगा।

(2) जब किसी गवाह को क्षतिपूर्ति का कोई प्रमाण-पत्र दिया गया हो, तो यह किसी भी न्यायालय में उसके द्वारा पक्ष समर्पित किया जा सकता है तथा मामला जिससे ऐसा प्रमाण-पत्र संबंधित है, से उद्भूत , भारतीय दण्ड संहिता (1860 का अधिनियम संख्या VI) के अध्याय IX-क के अधीन इस अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा अधिरोपित किसी निर्वाचन के संबंध में किसी निरर्हता से उसका छुटकारा नहीं समझा जाएगा।

गवाहों के खर्च।

47. गवाही देने के लिए हाजिर होने में किसी व्यक्ति द्वारा उपगत युक्तियुक्त खर्च विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञात किए जाएंगे तथा, विहित प्राधिकारी जब तक, अन्यथा निदेश नहीं करता, तब तक लागतों का भाग रूप समझे जाएंगे।

विहित प्राधिकारी का विनिश्चय।

48. (1) जहां कोई निर्वाचन याचिका धारा 40 के अधीन खारिज नहीं की गई है, वहां विहित प्राधिकारी, निर्वाचन याचिका की जांच पड़ताल करेगा तथा जांच पड़ताल के निष्कर्ष पर निम्निलिखित आदेश करेगा —

(क) निर्वाचन याचिका को खारिज करने वाला ; या

(ख) निर्वाचन को अपास्त करने वाला ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश करते समय, विहित प्राधिकारी निम्नलिखित आदेश भी करेगा —

(क) जहां चुनाव में किए गए भ्रष्ट-व्यवसाय की किसी याचिका में कोई आरोप लगाया गया है वहां —

(i) एक निष्कर्ष कि क्या चुनाव में किया गया कोई भ्रष्ट-व्यवसाय सिद्ध हुआ है या नहीं और भ्रष्ट-व्यवसाय का स्वरूप अभिलिखित करेगा ; तथा

(ii) ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम, यदि कोई हों, दिए जाएं, जिन्हे विचारण में किसी भ्रष्ट-व्यवसाय का दोषी ठहराया गया है और भ्रष्ट-व्यवसाय का स्वरूप अभिलिखित करेगा ; तथा

(ख) भुगतान योग्य लागतों की कुल राशि नियत करते हुए तथा ऐसे व्यक्ति विनिर्दिष्ट करते हुए जिनके द्वारा तथा जिनको लागतों का भुगतान किया जाएगा :

परन्तु ऐसा व्यक्ति जो याचिका में पक्षकार नहीं है, का नाम तब तक खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) के अधीन आदेश में नामित नहीं किया जाएगा, जब तक कि—

(i) उसे विहित प्राधिकारी के समक्ष पेश होने तथा यह कारण बताने का कि उसे इस प्रकार नामित क्यों न किया जाए, नोटिस नहीं दिया जाता ;

(ii) यदि वह नोटिस के अनुसरण में पेश होता है, जब तक उसे किसी गवाह की जिसकी विहित प्राधिकारी द्वारा पहले से ही जांच पड़ताल कर ली गई है तथा जिसने उसके विरुद्ध साक्ष्य दिया है, प्रति परीक्षा करने, तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य देने तथा सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता।

निर्वाचन अपास्त करने के आधार।

49. (1) यदि विहित प्राधिकारी की राय है —

(क) कि निर्वाचित व्यक्ति, अपने निर्वाचन की तिथि पर इस अधिनियम के अधीन चुने जाने के लिए अर्हित नहीं था या निरर्हित था ; या

(ख) कि निर्वाचित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा या निर्वाचित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का भ्रष्ट व्यवसाय किया गया है ; या

(ग) कि कोई नामांकन अनुचित रूप में अस्वीकृत किया गया है ; या

(घ) कि निर्वाचन का परिणाम, का जहां तक इसका संबंध निर्वाचित व्यक्ति से है तात्विक रूप से प्रभावित हुआ है—

(i) किसी नामांकन को अनुचित रूप से ग्रहण करने से ; या

(ii) किसी मत को अनुचित रूप में स्वीकार करने, इन्कार करने या रद्द करने से या किसी ऐसे मत को स्वीकार करने से जो शून्य है ; या

(iii) इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के किसी अननुपालन से ;

विहित प्राधिकारी निर्वाचित व्यक्ति का निर्वाचन अपास्त कर देगा।

(2) जब उप-धारा (1) के अधीन निर्वाचन अपास्त कर दिया जाता है तो नया निर्वाचन करवाया जाएगा।

निर्वाचन याचिकाओं का उपशमन।

50. कोई निर्वाचन याचिका केवल एकमात्र याचिकादाता या अनेक याचिकादाताओं के उत्तरजीवी की मृत्यु पर ही उपशमित होगी।

लागतें तथा जमा प्रतिभूति में से उनका भुगतान और ऐसी जमा राशियों की वापसी।

51. (1) अभिवक्ताओं की फीस सहित लागतें विहित प्राधिकारी के विवेक पर होंगी।

(2) यदि इस अध्याय के उपबंधों के अधीन लागतों के बारे में किसी आदेश में किसी व्यक्ति को किसी पक्षकार द्वारा लागतों के भुगतान का कोई निदेश है, तो ऐसी लागतें, यदि ये पहले भुगतान नहीं की गई हैं, पूर्ण रूप में या यथासम्भव इस अध्याय के अधीन ऐसे पक्षकार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति में से, ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके पक्ष में लागतें निर्णीत की गई हैं, ऐसे आदेश की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर उसकी ओर से लिखित रूप में दिए गए किसी आवेदन पर, निदेशक को भुगतान की जाएंगी।

(3) यदि, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट लागतों का उस उप-धारा के अधीन भुगतान के बाद, इस अध्याय के अधीन जमा प्रतिभूति का कोई बकाया रह जाता है, तो ऐसा बकाया या जहां कोई लागतें निर्णित नहीं की गई हैं या यथा पूर्वोक्त उक्त एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया गया है, तो वहां सम्पूर्ण उक्त जमा प्रतिभूति ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा प्रतिभूति जमा करवाई गई है या यदि ऐसे व्यक्ति की ऐसे जमा करवाने के बाद मृत्यु हो जाती है,तो ऐसे व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि द्वारा, निदेशक को लिखित रूप में उस निमित्त किए गए आवेदन पर उक्त व्यक्ति को या उसके विधिक प्रतिनिधि को, जैसी भी स्थिति हो, वापिस कर दी जाएगी।

लागतों के बारे में आदेशों का निष्पादन।

52. इस अध्याय के उपबंधों के अधीन लागतों के बारे में कोई आदेश, ऐसे मुख्य सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति का निवास या कारोबार का स्थान है जिसे धन की ऐसी राशि का भुगतान करने के लिये ऐसे आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया गया है और ऐसा न्यायालय आदेश को उसी रीति में तथा उसी प्रक्रिया में निष्पादित करेगा या उसे निष्पादित करवायेगा मानो यह किसी वाद में उसके द्वारा धन के भुगतान के लिए की गई कोई डिक्री हो :

परन्तु जहां धारा 51 की उप-धारा (2) के अधीन किए गए किसी आवेदन द्वारा किन्हीं ऐसी लागतों या उनके किसी भाग की वसूली की जा सकती है, वहां ऐसे आदेश की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर इस धारा के अधीन कोई भी आवेदन नहीं हो सकेगा जब तक कि यह उस उप-धारा में निर्दिष्ट जमा प्रतिभूति की राशि की अपर्याप्तता के कारण उस उप-धारा के अधीन किए गए आवेदन के बाद, किन्हीं लागतों के शेष जो वसूल न किए गए हों, की वसूली के लिए न किया गया हो।

निरर्हता वाले भ्रष्ट व्यवसाय।

53. अनुसूची II में विनिर्दिष्ट भ्रष्ट-व्यवसाय, पांच वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड की सदस्यता से निरर्हता होगी जो ऐसी तिथि से संगणित की जाएगी जिसको ऐसे व्यवसाय के सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी ने निष्कर्ष दिया हो :

परन्तु राज्य सरकार कारण अभिलिखित करते हुए निरर्हता हटा सकती है या उसकी अवधि कम कर सकती है।

अध्याय IV

विविध

नियम।

54. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन के बाद, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों का उपबंध होगा, अर्थात् :—

(क) तिथि, जिसको धारा 3 की उप-धारा (4) के अधीन पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या गिनी जाएगी ;

(ख) समय तथा स्थान, जिसमें तथा रीति जिसमें धारा 4 द्वारा यथा अपेक्षित निर्वाचन करवाया जाएगा ;

(ग) धारा 13 के अधीन नियुक्त किए गए बोर्ड के रजिस्ट्रार तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ;

(घ) धारा 14 के अधीन रखे जाने के लिये अपेक्षित रजिस्टर का प्ररूप ;

(ङ) धारा 14 की उप-धारा (4) के अधीन भुगतान योग्य फीस की राशि ;

(च) फीस की राशि जिसके भुगतान पर, तथा शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति धारा 15 के अधीन रजिस्टर के भाग I तथा भाग II में अपना नाम दर्ज करवा सकता है ;

(छ) रीति, जिसमें धारा 18 के अधीन रजिस्ट्रार के विनिश्चय के विरुद्ध बोर्ड द्वारा अपीलें सुनी तथा विनिश्चित की जाएंगी तथा ऐसी अपीलों के लिए प्रभार्य फीस ;

(ज) धारा 22 के अधीन सदस्यों को भुगतानयोग्य फीस तथा भत्ते ;

(झ) धारा 24 के अधीन प्रतियां देने के लिए भुगतान योग्य फीस की राशि ;

(ञ) रीति, जिसमें धारा 25 के अधीन फीसों के रूप में बोर्ड द्वारा प्राप्त किया गया धन उपयोजित किया जाएगा ;

(ट) धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित दी जाने वाली प्रतिभूति की राशि तथा रीति जिसमें यह दी जानी है ;

(ठ) प्राधिकारी जिसको अध्याय III के अधीन निर्वाचन याचिकाएं प्रस्तुत की जाएंगी तथा जिसके द्वारा ऐसी याचिकाओं की जांच पड़ताल की जाएंगी तथा विनिश्चित की जाएंगी ;

(ड) धारा 38 की उप-धारा (1) के अधीन याचिका के साथ अपेक्षित शपथ पत्र के प्ररूप ;

(ढ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र

राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती है, और यदि उस सत्र की, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो, या ठीक पश्चातवर्ती सत्र की समाप्ति से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन सहमत हो जाते हैं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपांतरण या निष्प्रभावन उस नियम के अधीन पहले से की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

विनियम।

55. (1) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों :—

(क) समय तथा स्थान जिस पर धारा 11 के अधीन बोर्ड अपना अधिवेशन करेगा तथा रीति जिसमें ऐसा अधिवेशन बुलाया जाएगा;

(ख) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझा जाए।

(2) सभी विनियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, कोई भी विनियम रद्द कर सकती है।

निर्वचन।

56. पंजाब साधारण दण्ड अधिनियम, 1898, इस अधिनियम के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जैसे यह किसी पंजाब अधिनियम के निर्वचन को लागू होता है।

निरसन तथा व्यावृत्तियां।

57. (1) पूर्वी पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1949, तथा पैप्सू आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 2008 (बी० के०) विक्रमी संवत, इसके द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु ऐसा निरसन,—

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियमों के पूर्व प्रवर्तन को अथवा उनके अधीन सम्यक् रूप से की गई अथवा सहन की गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा ; या

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियमों के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा ; या

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियमों के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, जब्ती या दण्ड को प्रभावित नहीं करेगा ; या

(घ) यथा पूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, जब्ती या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपाय को प्रभावित नहीं करेगा ;

और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपाय संस्थित किया जाएगा, जारी रखा जाएगा या

प्रवर्तित किया जाएगा तथा ऐसी कोई शास्ति, जब्ती या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जाएगा, मानो यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ था।

(2) उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन रहते हुए, उप-धारा (1) द्वारा निरसित अधिनियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई (जिसमें शामिल हैं, की गई कोई नियुक्ति या किया गया कोई प्रत्यायोजन, जारी की गई कोई अधिसूचना, आदेश, अनुदेश या निदेश, बनाया गया नियम, विनियम या प्ररूप) जहां तक कि यह इस अधिनियम से असंगत न हो, तब तक इस अधिनियम के तत्सम उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी तथा तदनुसार लागू रहेगी, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई द्वारा अधिक्रमित नहीं कर दी जाती।

अन्त:कालीन उपबंध।

58. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले पूर्वी पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1949, और पैप्सू आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 2008 (बी०के०) विक्रमी सम्वत् के अधीन स्थापित तथा गठित आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति के दोनों बोर्ड कार्य करना बन्द कर देंगे।

(2) इस प्रकार बोर्डों के कार्य बन्द करने पर, उनमें निहित सभी परिसम्पत्तियां तथा उनके विरुद्ध बने रहे सभी दायित्व, इस प्रकार बन्द होने की तिथि को बोर्ड को न्यायगत हो जाएंगे।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व, इस प्रकार कार्य बन्द करने वाले किन्हीं बोर्डों द्वारा या उनके विरुद्ध संस्थित किए गए या संस्थित किए जाने वाले सभी वाद, अभियोजन तथा अन्य विधिक कार्यवाहियां बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जाएंगी या संस्थित की जाएंगी।

(4) इस प्रकार कार्य बन्द करने वाले बोर्डों के स्थायी अधिकारियों तथा सेवकों को, इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व, या तो बोर्ड द्वारा ऐसी शर्तों पर जो उनसे कम लाभकर न हों जिन पर वे ऐसे बोर्डों में सेवारत अपनी सेवा में सम्मिलित कर लिया जाएगा या राज्य सरकार द्वारा यथा निदिष्ट रीति में उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार उनको सेवा निवृत्त या क्षतिपूरित किया जाएगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

59. यदि, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकती है या ऐसे निदेश दे सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

1969 के हरियाणा अधिनियम 18 की धारा 12 निम्न रूप में पढ़ी जाए :—

विधिमान्यकरण।

[1][मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन 4 फरवरी, 1966, से प्रारम्भ होने वाली तथा 26 नवम्बर, 1968, को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जिसमें मूल अधिनियम की धारा 15 के अधीन व्यक्तियों का पंजीकरण शामिल है, इस प्रकार विधिमान्य समझी जाएगी जैसी यह तब हुई होती यदि ऐसी अवधि के दौरान सम्यक् रूप से

गठित बोर्ड विद्यमान होता और यह इस आधार पर किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकरण के सामने प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि ऐसा बोर्ड विद्यमान नहीं था।]

1971 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 3 निम्न रूप में पढ़ी जाए :—

["मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन 25 नवम्बर, 1970, से प्रारम्भ होने वाली तथा पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1971 के लागू होने से समाप्त होने वाली अवधि के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जिसमें मूल अधिनियम की धारा 15 के अधीन व्यक्तियों का पंजीकरण शामिल है, इस प्रकार विधिमान्य समझी जाएगी जैसी यह तब हुई होती यदि ऐसी अवधि के दौरान सम्यक् रूप से गठित बोर्ड विद्यमान होता और यह इस आधार पर किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकरण के सामने प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि ऐसा बोर्ड विद्यमान नहीं था।"]

1972 के हरियाणा अधिनियम 10 की धारा 3 निम्न रूप में पढ़ी जाए :—

["मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन 24 सितम्बर, 1971, से प्रारम्भ होने वाली तथा पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1972 के लागू होने से समाप्त होने वाली अवधि के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, इस प्रकार विधिमान्य समझी जाएगी जैसी यह तब हुई होती यदि ऐसी अवधि के दौरान सम्यक् रूप से गठित बोर्ड विद्यमान होता और यह इस आधार पर किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकरण के सामने प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि ऐसा बोर्ड विद्यमान नहीं था।"]

विधिमान्यकरण।

[1]["मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन 26 नवम्बर, 1980, से प्रारम्भ होने वाली तथा पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1981, के लागू होने से समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, बोर्ड अथवा रजिस्ट्रार द्वारा की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जिसमें मूल अधिनियम की धारा 15 के अधीन व्यक्तियों का पंजीकरण शामिल है, इस प्रकार विधिमान्य समझी जाएगी जैसी यह तब

1. 1981 के हरियाणा अधिनियम 14 द्वारा प्रतिस्थापित।

हुई होती यदि ऐसी अवधि के दौरान सम्यक् रूप से गठित बोर्ड विद्यमान होता और यह इस आधार पर किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकरण के सामने प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि ऐसा बोर्ड विद्यमान नहीं था।"]

विधिमान्यकरण।

[1]["मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन 26 नवम्बर, 1982, से प्रारम्भ होने वाली तथा पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1984, के लागू होने से समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, बोर्ड अथवा रजिस्ट्रार द्वारा की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जिसमें मूल अधिनियम की धारा 15 के अधीन व्यक्तियों का पंजीकरण शामिल है, इस प्रकार विधिमान्य समझी जाएगी जैसी यह तब हुई होती यदि ऐसी अवधि के दौरान सम्यक् रूप से गठित बोर्ड विद्यमान होता और यह इस आधार पर किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकरण के सामने प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि ऐसा बोर्ड विद्यमान नहीं था।"]

विधिमान्यकरण।

[2]["मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन 26 नवम्बर, 1984, से प्रारम्भ होने वाली तथा पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1986, के लागू होने से समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, बोर्ड अथवा रजिस्ट्रार द्वारा की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जिसमें मूल अधिनियम की धारा 15 के अधीन व्यक्तियों का पंजीकरण शामिल है, इस प्रकार विधिमान्य समझी जाएगी जैसी यह तब हुई होती यदि ऐसी अवधि के दौरान सम्यक् रूप से गठित बोर्ड विद्यमान होता और यह इस आधार पर किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकरण के सामने प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि ऐसा बोर्ड विद्यमान नहीं था।"]

विधिमान्यकरण।

[3]["मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन 26 नवम्बर, 1988, से प्रारम्भ होने वाली तथा पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1989, के लागू होने से समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, बोर्ड अथवा रजिस्ट्रार द्वारा की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जिसमें मूल अधिनियम की धारा 15 के अधीन व्यक्तियों का पंजीकरण शामिल है, इस प्रकार विधिमान्य समझी जाएगी जैसी यह तब हुई होती यदि ऐसी अवधि के दौरान सम्यक् रूप से गठित बोर्ड विद्यमान होता और यह इस आधार पर किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकरण के सामने प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि ऐसा बोर्ड विद्यमान नहीं था।"]

1.1984 के हरियाणा अधिनियम 21 द्वारा प्रतिस्थापित।

2.1986 के हरियाणा अधिनियम 27 द्वारा प्रतिस्थापित।

3.1989 के हरियाणा अधिनियम 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1]["मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन 26 नवम्बर, 1989, से प्रारम्भ होने वाली तथा पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1991, के लागू होने से समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, बोर्ड अथवा रजिस्ट्रार द्वारा की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जिसमें मूल अधिनियम की धारा 15 के अधीन व्यक्तियों का पंजीकरण शामिल है, इस प्रकार विधिमान्य समझी जाएगी जैसी यह तब हुई होती यदि ऐसी अवधि के दौरान सम्यक् रूप से गठित बोर्ड विद्यमान होता और यह इस आधार पर किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकरण के सामने प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि ऐसा बोर्ड विद्यमान नहीं था।"] विधिमान्यकरण।

[2]["मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन 26 नवम्बर, 1993, से प्रारम्भ होने वाली तथा पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1994, के लागू होने से समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, बोर्ड अथवा रजिस्ट्रार द्वारा की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जिसमें मूल अधिनियम की धारा 15 के अधीन व्यक्तियों का पंजीकरण शामिल है, इस प्रकार विधिमान्य समझी जाएगी जैसी यह तब हुई होती यदि ऐसी अवधि के दौरान सम्यक् रूप से गठित बोर्ड विद्यमान होता और यह इस आधार पर किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकरण के सामने प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि ऐसा बोर्ड विद्यमान नहीं था।"] विधिमान्यकरण।

[3]["मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन 26 नवम्बर, 1995, से प्रारम्भ होने वाली तथा पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1996, के लागू होने से समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, बोर्ड अथवा रजिस्ट्रार द्वारा की गई कोई बात या कार्रवाई, जिसमें मूल अधिनियम की धारा 15 के अधीन व्यक्तियों का पंजीकरण शामिल है, इस प्रकार विधिमान्य समझी जाएगी जैसी यह तब हुई होती यदि ऐसी अवधि के दौरान सम्यक् रूप से गठित बोर्ड विद्यमान होता और यह इस आधार पर किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकरण के सामने प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि ऐसा बोर्ड विद्यमान नहीं था।"] विधिमान्यकरण।

[4]["मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन 26 नवम्बर, 1997, से प्रारम्भ होने वाली तथा पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा विधिमान्यकरण।

1.1992 के हरियाणा अधिनियम 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
2.1994 के हरियाणा अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
3.1996 के हरियाणा अधिनियम 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
4.1999 के हरियाणा अधिनियम 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1998, के लागू होने से समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, बोर्ड अथवा रजिस्ट्रार द्वारा की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जिसमें मूल अधिनियम की धारा 15 के अधीन व्यक्तियों का पंजीकरण शामिल है, इस प्रकार विधिमान्य समझी जाएगी जैसी यह तब हुई होती यदि ऐसी अवधि के दौरान सम्यक् रूप से गठित बोर्ड विद्यमान होता और यह इस आधार पर किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकरण के सामने प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि ऐसा बोर्ड विद्यमान नहीं था।"]

विधिमान्यकरण।

[1]["मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन 26 नवम्बर, 1999, से प्रारम्भ होने वाली तथा पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2000, के लागू होने से समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, बोर्ड अथवा रजिस्ट्रार द्वारा की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जिसमें मूल अधिनियम की धारा 15 के अधीन व्यक्तियों का पंजीकरण शामिल है, इस प्रकार विधिमान्य समझी जाएगी जैसी यह तब हुई होती यदि ऐसी अवधि के दौरान सम्यक् रूप से गठित बोर्ड विद्यमान होता और यह इस आधार पर किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकरण के सामने प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि ऐसा बोर्ड विद्यमान नहीं था।"]

विधिमान्यकरण।

[2]["मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन 26 नवम्बर, 2001, से प्रारम्भ होने वाली तथा इस अधिनियम के लागू होने से समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, बोर्ड अथवा रजिस्ट्रार द्वारा की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जिसमें मूल अधिनियम की धारा 15 के अधीन व्यक्तियों का पंजीकरण शामिल है, इस प्रकार विधिमान्य समझी जाएगी जैसी यह तब हुई होती यदि ऐसी अवधि के दौरान सम्यक् रूप से गठित बोर्ड विद्यमान होता और यह इस आधार पर किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकरण के सामने प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि ऐसा बोर्ड विद्यमान नहीं था।"]

---

1. 2000 के हरियाणा अधिनियम 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 2001 के हरियाणा अधिनियम 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुसूची I

(देखिए धारा 15 तथा 31)

1. पंजाब के भीतर या इसके बाहर संकाय द्वारा मान्यताप्राप्त किसी आयुर्वेदिक या यूनानी महाविद्यालय की उपाधि या उपाधि-पत्र (कम से कम चार वर्षीय पाठ्यक्रम सहित) या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति या यूनानी पद्धति में उपाधि :

परन्तु व्यक्ति, जिन्होंने इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी आयुर्वेदिक या यूनानी महाविद्यालय या संस्था से चार वर्ष से कम की अवधि के किसी पाठ्यक्रम में पहले ही अर्हता प्राप्त कर ली है, भी पंजीकरण के लिए हकदार होंगे।

2. संकाय द्वारा या संकाय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय या संस्था द्वारा आयोजित अंतिम परीक्षाएं।

3. पंजीकरण के प्रयोजनों के लिये संकाय या बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त पंजाब में या इसके बाहर किसी आयुर्वेदिक या यूनानी संस्था से अंतिम परीक्षा।

अनुसूची II

(देखिए धारा 35(ग) तथा 53)

धारा 53 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित भ्रष्ट-आचरण समझे जाएंगे :—

(1) घूसखोरी, अर्थात्—

(अ) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिस किसी को भी, किसी परितोषण के कोई उपहार, भेंट या वचन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से कि—

(क) किसी निर्वाचन में किसी व्यक्ति का किसी उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना या खड़ा न होना या अपना नाम वापिस लेना ; या

(ख) किसी निर्वाचन में मतदाता को मत देने के लिए कहना या मत देने से रोकना या पारितोषिक के रूप में—

(i) किसी व्यक्ति को इस प्रकार खड़े होने या खड़े न होने के लिए या अपनी उम्मीदवारी से अपना नाम वापिस लेने के लिए ; या

(ii) किसी मतदाता को मतदान करने या मतदान करने से रोकने के लिए ;

(आ) किसी परितोषण की प्राप्ति या प्राप्त करने का करार, चाहे किसी उद्देश्य या पारितोषिक के रूप में हो—

(क) किसी व्यक्ति का उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अपना नाम वापिस लेकर ;

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे जो कोई भी हो, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए मतदान करने या मतदान करने से रोकने के लिए या किसी मतदाता को मतदान करने या मतदान करने से रोकने या किसी उम्मीदवार को अपनी उम्मीदवारी वापिस लेने के लिए उत्प्रेरित करके या उत्प्रेरित करने का प्रयास करके।

व्याख्या .—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए "परितोषण" पद धन सम्बन्धी परितोषण या धन में आकलनीय परितोषणों तक प्रतिबन्धित नहीं है तथा इसमें सभी प्रकार के मनोरंजन तथा पारितोषिक के लिए हर प्रकार के नियोजन भी शामिल हैं, किन्तु इसमें किसी निर्वाचन के प्रयोजन के लिए वास्तविक उपगत किन्हीं खर्चों का भुगतान शामिल नहीं है।

(2) अनुचित प्रभाव, अर्थात्, उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में, कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्ताक्षेप करता है या हस्ताक्षेप करने का प्रयास :

परन्तु—

(क) इस खण्ड के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसमें यथा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो—

(i) किसी उम्मीदवार या मतदाता या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें उम्मीदवार या ऐसा मतदाता हितबद्ध है, किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है जिसमें सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से निष्कासन तथा निर्वासन भी शामिल है ;

(ii) उम्मीदवार या मतदाता को विश्वास दिलाने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है कि वह या कोई व्यक्ति जिसमें वह हितबद्ध है, दैवी कोप या अध्यात्मिक निंदा का भागी होगा या बना दिया जाएगा,

इस खण्ड के अर्थ के भीतर ऐसे उम्मीदवार या मतदाता के निर्वाचन-अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्ताक्षेप करने वाला समझा जाएगा ;

(ख) लोक नीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का कोई वचन या केवल किसी निर्वाचन अधिकार में हस्ताक्षेप के आशय के बिना किसी विधिक अधिकार का प्रयोग, इस खण्ड के अर्थ के भीतर हस्ताक्षेप नहीं समझा जाएगा।

(3) किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की सम्भावनाएं बढ़ाने के लिए या उस उम्मीदवार के निर्वाचन में प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति को उसके धर्म, वंश, जाति या समुदाय या भाषा के आधार पर मतदान करने या मतदान करने से रोकने के लिए अपील करना, या किसी धार्मिक प्रतीक का प्रयोग करना या उसके प्रयोग की अपील करना, या राष्ट्रीय प्रतीक जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का प्रयोग करना या उसके प्रयोग की अपील करना।

(4) किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावनाएं बढ़ाने के लिए या उस उम्मीदवार के निर्वाचन में प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा या उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों में शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ाना या बढाने का प्रयास करना।

(5) किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की प्रत्याशा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से संगणित किया गया कथन होने के कारण, किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के सम्बन्ध में, अथवा किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी अथवा उसकी वापसी के सम्बन्ध में, तथ्य के ऐसे कथन का प्रकाशन जो झूठा है तथा या तो वह जिसके झूठे होने का विश्वास करता है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता।

(6) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा या उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी मतदाता के लिए (स्वयं उम्मीदवार, उसके परिवार या उसके अभिकर्ता के सदस्यों से भिन्न) उपलब्ध किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान पर या से किसी मतदाता को लाने या ले जाने के लिए किसी वाहन का चाहे भुगतान पर या अन्यथा भाड़े पर लेना या प्राप्त करना :

परन्तु किसी मतदाता या विभिन्न सदस्यों द्वारा किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान पर या से, उसे या उन्हें लाने या ले जाने के प्रयोजन के लिए उनकी संयुक्त लागत पर किसी वाहन को भाड़े पर लेना इस खण्ड के अधीन भ्रष्ट-व्यवसाय नहीं समझा जाएगा, यदि इस प्रकार भाड़े पर लिया गया वाहन ऐसा वाहन है जो यांत्रिक शक्ति से चालित नहीं है :

परन्तु यह और कि किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने या से आने के प्रयोजन के लिए किसी मतदाता द्वारा उसकी अपनी लागत पर किसी सार्वजनिक वाहन का प्रयोग इस खण्ड के अधीन भ्रष्ट व्यवसाय नहीं समझा जाएगा।

व्याख्या. —इस खण्ड में, अभिव्यक्ति "वाहन" से अभिप्राय है, सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त या प्रयोग किया जा सकने वाला कोई वाहन चाहे यांत्रिक शक्ति द्वारा या अन्यथा चालित हो तथा चाहे अन्य वाहनों को खींचने के लिए या अन्यथा प्रयोग में लाया जाता हो।

(7) सरकार, भारत सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की सेवा में किसी व्यक्ति से, किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना को बढ़ाने के लिए उस उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, कोई सहायता (मतदान करने से भिन्न) प्राप्त करना, उपाप्त करना या उत्प्रेरित करना या प्राप्त करने अथवा उपाप्त करने का प्रयास करना।

आर०एस० मदान,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधायी विभाग।

29263—L.R.—H.G.P., Chd.